

प्रेषक,

शंभू शरण, मा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-19/05/2025

विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत सविदा पर कार्यरत 19 आशा कर्मियों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान करने हेतु राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रु० 76,00,000/- (रुपये छिहत्तर लाख) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय सकल्प सख्या-86(12), दिनांक-03.02.2016 एवं विभागीय आदेश सख्या-545(12), दिनांक-22.06.2018 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत सविदा पर कार्यरत 19 आशा कर्मियों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि (प्रति आश्रित रु० 400 लाख) के भुगतान करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य के 09 जिलों से आश्रितों की संग्रहित की गयी सख्या (सूची सलग्न) के आधार पर राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रु० 76,00,000/- (रुपये छिहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा--

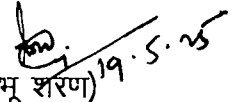
(1) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ, उपशीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान मद में उपबधित राशि रु० 10,00,00,000/- में से कुल रु० 76,00,000/- (रुपये छिहत्तर लाख) मात्र विकलनीय होगी।

3- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना रालग्न सूची के अनुरूप लाभूको को वितरित की गयी अनुग्रह अनुदान की राशि की निकासी कर संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार द्वारा व्यय की गयी राशि का अनुश्रवण राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा।

- 5- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।
- 6- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- 7- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 8- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।
- 9- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

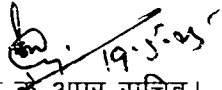
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव
Nishant

ज्ञापांक- SHSB/GA/ARC/8055/2024- 38 (7) स्वा0, पटना, दिनांक-19/05/2025

प्रतिलिपि- सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7 एवं संबंधित सहायक तथा आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Nishant

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत सविदा पर कार्यरत आशा कर्मियों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु विभिन्न सिविल सर्जन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैंक खातों की सूचना के अनुसार कुल आवंटित की जाने वाली राशि एवं बैंक खाता विवरणी -

(राशि रुपये में)

क्रम सं०	स्वास्थ्य इकाई का नाम	मृत आशा कर्मियों की संख्या	खाताधारक का नाम	बैंक खाता सं०	आई०एफ०एस० कोड	कुल आवंटन
1	सिविल सर्जन- मधुबनी	3	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी	11302435/62	SBIN0000127	12,00,000
2	सिविल सर्जन- भोजपुर	1	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर	3014/6/9127	SBIN0000010	4,00,000
3	सिविल सर्जन-पूर्णियाँ	4	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ	10954136578	SBIN0000159	16,00,000
4	सिविल सर्जन-सारण	3	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण	009/002101004400	PUNB00009700	12,00,000
5	सिविल सर्जन-नालन्दा	1	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा	31551321925	SBIN0000042	4,00,000
6	सिविल सर्जन-नवादा	2	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा	2711000100732250	PUNB0271100	8,00,000
7	सिविल सर्जन-गया	1	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया	11159899617	SBIN0000079	4,00,000
8	सिविल सर्जन- गोपालगंज	3	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज	11226895017	SBIN0000085	12,00,000
9	सिविल सर्जन, दरभंगा	1	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा	39255624102	SBIN0003025	4,00,000
कुल योग						76,00,000

(रुपये छिहत्तर लाख मात्र)

सरकार के अपर सचिव

Meelan

38(7)
19/05/2025